डेढ़सैया पंचायत पहुंचीं डीएम, लाभुकों के बीच वितरित किए राशन व जॉब कार्ड

48 जीविका समूहों को 1.08 करोड़ के ऋण चेक दिए गए

भास्कर टीम | जहानाबाद

सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक आसानी से पहुँचाने और पंचायत स्तर पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से शुक्रवार को काको प्रखंड की डेढ़सैया पंचायत में 'सहयोग शिविर' का आयोजन किया गया।

शिविर में पहुंचीं जिलाधिकारी छिरिंङ वाई भूटिया ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने 48 स्वयं सहायता समूहों को कुल ₹1 करोड़ 8 लाख 50 हजार के बैंक ऋण के चेक सौंपे। इसके साथ ही 7 लाभुकों को राशन कार्ड और 2 लाभुकों को मनरेगा जॉब कार्ड प्रदान किए गए।

जीविका दीदियों को शुभकामनाएं देते हुए डीएम ने कहा कि बैंक ऋण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वरोजगार और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने दीदियों को ऋण राशि का सदुपयोग कर आजीविका मजबूत करने और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने की सलाह दी।



जीविका समूह को चेक प्रदान करतीं डीएम

आवेदनों का 30 दिनों में निष्पादन अनिवार्य:

शिविर में विभिन्न विभागों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन को अनिवार्य रूप से 'सहयोग पोर्टल' पर अपलोड किया जाए। सभी मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने तथा पोर्टल पर अनुपालन प्रतिवेदन दर्ज करने का आदेश दिया गया।

11 पंचायतों में लगे शिविर, लिया गया फीडबैक

जिले के विभिन्न प्रखंडों की कुल 11 पंचायतों में सहयोग शिविर लगे । डीएम ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों का समाधान मौके पर संभव हो, उनका ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया जाए। शेष मामलों में संबंधित विभाग त्वरित कार्रवाई करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। शिविरों में राजस्व, पेंशन, मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विद्युत और जीविका सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए थे।

मौके पर मिला योजनाओं का लाभ

- **राशन कार्ड वितरण:** डेढ़सैया के शिविर में सात लाभुकों रेणु देवी, गुड़िया देवी, सरिता देवी, सुलेखा देवी, दीपक पासवान, साहुद आलम और पूनम देवी को राशन कार्ड प्रदान किए गए।
- **मनरेगा जॉब कार्ड:** नारायणपुर गांव की श्रीमती वानो खातून (जॉब कार्ड सं. 4623) और श्रीमती गुड़िया खातून (जॉब कार्ड सं. 4624) को जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए।

महिला स्वास्थ्य व बिजली को दी प्राथमिकता

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र परिवारों को नियमानुसार योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। डीएम ने विद्युत से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने को कहा। उन्होंने महिलाओं एवं किशोरियों की एनीमिया जांच पर जोर दिया। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक पात्र परिवारों को जोड़ने का निर्देश दिया

ट्रैक्टर से गिरकर मजदूर की मौत, गांव में मातम

करपी|स्थानीय थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव के समीप शुक्रवार को ट्रैक्टर से गिरकर उसके नीचे दब जाने से 26 वर्षीय मजदूर पंकज कुमार की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोचहसा गांव से ट्रैक्टर पर पत्थर लादकर सलारपुर गांव ले जाया गया था। पत्थर पहुंचाने के बाद वापस लौटने के दौरान मजदूर पंकज कुमार ट्रैक्टर पर सवार था। इसी बीच सलारपुर गांव के समीप वह अचानक असंतुलित होकर ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा। इस दौरान ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही करपी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

रबी महाभियान का शुभारंभ, किसानों को दी गई उन्नत खेती की जानकारी

भास्कर न्यूज | जहानाबाद

प्रखंड कृषि कार्यालय जहानाबाद में प्रखंड स्तरीय बासंती (रबी) महाभियान का शुभारंभ किया गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष रणधीर पटेल ने किया। इस दौरान किसानों को रबी फसलों की बेहतर पैदावार, आधुनिक कृषि तकनीकों और विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने प्रखंड में संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी दी और कृषि को एक व्यावसायिक रूप में विकसित करने पर बल दिया।

ड्रोन और कृषि यंत्रों के उपयोग पर जोर: उप निदेशक (कृषि यंत्रीकरण) अजय कुमार ने कृषि यंत्रों की उपयोगिता तथा उन्हें प्राप्त करने की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समझाई। उन्होंने किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और 'कस्टम हायरिंग सेंटर' के माध्यम से ड्रोन तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया।

इसके अलावा, सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र) ब्रजेश कुमार ने रबी मौसम में फसल प्रबंधन तथा कृषि वैज्ञानिक मनोज कुमार ने फसलों के उचित रखरखाव व तकनीकी सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।

कार्यक्रम में गणमान्य लोगों की उपस्थिति: कार्यक्रम का सफल संचालन किसान सलाहकार देवेंद्र कुमार ने किया। इस मौके पर 'आत्मा' के उप परियोजना निदेशक राकेश कुमार, सहायक निदेशक (बीज विश्लेषण) सत्यजीत कुमार, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी योगेंद्र कुमार, निकिता कौशल, पूर्व आत्मा अध्यक्ष श्याम किशोर शर्मा, कई कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार और नागेंद्र कुमार, रामभवन सिंह, रामविष्णु पासवान उपस्थित रहे।

फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की रहस्यमयी गुमशुदगी

भास्कर न्यूज | जहानाबाद

शहर के नगर थाना क्षेत्र स्थित टेनी बिगहा से चोला फाइनेंस कंपनी में कार्यरत एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। पीड़ित मां सुनीता देवी ने अपने पुत्र अजीत कुमार की गुमशुदगी को लेकर नगर थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर सनहा दर्ज कराया है और न्याय की गुहार लगाई है।

आवेदन के अनुसार, लापता युवक अजीत कुमार मूल रूप से पटना जिले के धनरुआ थाना अंतर्गत रेड बिगहा (महपुल, पो.- पभेड़ी) का निवासी है। वह जहानाबाद स्टेशन के पश्चिम स्थित टेनी बिगहा में किराए के मकान में रहकर फाइनेंस कंपनी में काम करता था।

मां सुनीता देवी ने बताया कि 20 अक्टूबर 2026 की दोपहर बेटे से उनकी आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। इसके बाद से ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। काफी खोजबीन और दोस्तों, रिश्तेदारों के यहाँ पता लगाने के बाद भी जब अजीत का कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया।

परिजनों ने बताया कि करीब 8 माह पूर्व अजीत की शादी तय हुई थी। दशहरा के समय वह अपनी होने वाली पत्नी के साथ घूमकर कमरे पर लौटा था, जिसके बाद से ही वह रहस्यमयी तरीके से गायब है। परिजनों ने ससुराल पक्ष से जुड़े लोगों पर किसी अनहोनी या साजिश की आशंका जताई है।

मां के आवेदन के आधार पर नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है और युवक की तलाश शुरू कर दी गई है।

तीन एनबीडब्ल्यू वारंटी गिरफ्तार

रतनी|पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार के निर्देश पर अपराधियों , वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत परसबिगहा थाने की पुलिस ने तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया है।थाना अध्यक्ष सर्वनारायण ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के अंतर्गत छापेमारी कर नौरू गांव से 40 वर्षीय एनबीडब्ल्यू वारंटी राजेश पासवान,23 वर्षीय छोटू पासवान एवं शिवकुमार पासवान को गिरफ्तार किया है, पूछताछ के उपरांत तीनों लोगों को जेल भेज दिया गया।

एनएच-139 पर ठाकुर बिगहा के पास बुलेट सवार तीन युवक घायल

भास्कर न्यूज | मेहदिया

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर कलेर थाना क्षेत्र के ठाकुर बिगहा गांव के समीप एक बुलेट मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उस पर सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद तीनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए दाउदनगर स्थित प्रकाश चंद्रा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घायल युवक रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र स्थित भटौली गांव के निवासी हैं। इनकी पहचान रूपेश कुमार, मुरली और कुंदन कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि तीनों बुलेट मोटरसाइकिल से एनएच-139 के रास्ते नालंदा की ओर जा रहे थे, तभी ठाकुर बिगहा के समीप यह हादसा हो गया।

कलेर थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम जब मौके पर पहुँची, तब तक घायलों को इलाज के लिए दाउदनगर ले जाया जा चुका था।

गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ भाकपा माले का धरना-प्रदर्शन

भास्कर न्यूज | कलेर

बिहार में बढ़ते अपराध, हत्या और बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को भाकपा माले ने कलेर प्रखंड मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। इसकी अध्यक्षता पार्टी के कलेर प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद ने की।

सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले की राज्य स्थायी कमेटी के सदस्य और अरवल के पूर्व विधायक महानंद सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीबों और दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें उजाड़ रही है, जबकि दबंगों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने पहलेजा गांव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां लंबे समय से रह रहे महादलित परिवारों के घर तोड़ने की कार्रवाई की गई। इसका विरोध करने वाली 80 वर्षीय महिला समेत तीन महिलाओं को जेल भेज दिया गया।



उन्होंने उसरी बाजार में प्रस्तावित उपस्वास्थ्य केंद्र के निर्माण पर रोक लगाए जाने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उनके अनुसार, अंचलाधिकारी की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्य बाधित है। उन्होंने दो नवंबर को अरवल में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के कार्यक्रम और खेत मजदूर सभा के जिला सम्मेलन में शामिल होने का आह्वान किया।

धरना-प्रदर्शन के माध्यम से पहलेजा गांव की तीन महिलाओं की बिना शर्त रिहाई, लंबे समय से बसे महादलित परिवारों को बासगीत पर्चा देने और महिलाओं की पिटाई के लिए जिम्मेदार पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई गई। इसके अलावा, उसरी बाजार में उपस्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तत्काल शुरू कराने तथा बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की गई।

धरना को भाकपा माले के जिला सचिव जितेंद्र यादव, जिला कमेटी सदस्य सुरेंद्र प्रसाद, उमेश पासवान, सुएब आलम और त्यागी जी ने भी संबोधित किया।

झाड़ियों से 78 लीटर महुआ शराब बरामद

भास्कर न्यूज | जहानाबाद

बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से नगर थाना पुलिस और एएलटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध देसी महुआ शराब जब्त की है। पुलिस की इस छापेमारी में देवधरिया मोहल्ले के पास जमुना नदी किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखी गई कुल 78 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की गई है।

नगर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक गजेंद्र कुमार सिंह सशस्त्र बल के जवानों हवलदार अभिषेक कुमार और महिला सिपाही प्रीति कुमारी के साथ क्षेत्र में दिवा गश्ती पर थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि देवधरिया मोहल्ले में जमुना नदी के किनारे झाड़ियों के बीच अवैध शराब की बड़ी खेप छिपाई गई है।

सूचना की पुष्टि होते ही वरीय अधिकारियों एवं एएलटीएफ टीम को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस और एएलटीएफ की संयुक्त टीम ने बताए गए स्थान पर विधिवत छापेमारी की।

एआईसीसी पर्यवेक्षक मोहन मरकाम ने केंद्र व चुनाव आयोग पर बोला हमला

भास्कर न्यूज | जहानाबाद

'वोट बचाओ देश बचाओ' अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय विशेष कार्यक्रम और प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एआईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक व छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मोहन मरकाम तथा बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अमन कुमार विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रो. संजीव कुमार ने की।



लोकतंत्र खतरे में, एकतरफा लिए जा रहे फैसले: प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश में लोकतंत्र गंभीर खतरे में है। हमारे नेता राहुल गांधी लगातार जनता के बीच जाकर लोकतंत्र और वोट अधिकार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मरकाम ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए देशभर में लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। फॉर्म-6 में बदलाव कर नए मतदाताओं के नाम जोड़ना कठिन बना दिया गया है। गरीब, किसान, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के नाम चुन-चुनकर हटाए जा रहे हैं।

मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन: मोहन मरकाम ने कहा कि 2024 के चुनाव के तुरंत बाद करोड़ों नाम हटाया जाना विपक्ष को कमजोर करने की एक सोची-समझी साजिश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त नहीं किया जाता तथा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक कांग्रेस का यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।

इस अवसर पर जिला प्रवक्ता प्रो. भूषण कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष प्रो. खलील अंसारी, हरिनारायण द्विवेदी, अशोक प्रियदर्शी, कन्हाई शर्मा, प्रेम कुमार, प्रो. योगेंद्र यादव, दुर्गेश पांडेय, रामप्रवेश ठाकुर, चंद्रिका मंडल, वासीमुल हक रुस्तम, हेमंत शर्मा, जयशंकर शर्मा, रामजी प्रसाद, गौरी शंकर यादव, सुनील कुमार, संजय यादव, फजल शाहजहाँ, सौरव कुमार, अंबिका यादव, संतोष दास मौजूद रहे।

पुलिस का अभियान : हत्या के प्रयास और शराब तस्करी के मामलों में 17 गिरफ्तार

भास्कर न्यूज | जहानाबाद

जिले में अपराध नियंत्रण और शराबबंदी कानून के अनुपालन को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हत्या के प्रयास के मामलों में नौ आरोपित, गैर-जमानती वारंट के तीन वारंटी और शराब से जुड़े मामलों में पांच आरोपी शामिल हैं। अभियान के दौरान 78 लीटर देसी शराब बरामद की गई। वहीं, अवैध शराब निर्माण की एक भट्ठी ध्वस्त करने के साथ 635 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर को चलाए गए अभियान के दौरान मखदुमपुर और शकुराबाद थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के मामलों में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें मखदुमपुर थाना क्षेत्र के ओढ़ बिगहा निवासी हरेराम यादव, बलिराम यादव, वैजनाथ यादव, गिरजेश यादव और चनारिक यादव शामिल हैं। वहीं, शकुराबाद थाना क्षेत्र के देवनन्दन बिगहा निवासी लुकेश कुमार, ललेश कुमार, अखिलेश यादव और शैलेश यादव को भी गिरफ्तार किया गया।

इसके अलावा, गैर-जमानती वारंट के आधार पर परसविगहा थाना क्षेत्र के नौरू गांव निवासी राजेश पासवान उर्फ डोमन पासवान, छोटू पासवान और शिवकुमार पासवान को पकड़ा गया।

शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र से अजय सिंह और जय बिन्द सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं, मखदुमपुर थाना क्षेत्र के ओढ़ बिगहा निवासी मिथलेश यादव, कड़ौना थाना क्षेत्र के सेवनन निवासी साकेत कुमार और टेहटा थाना क्षेत्र के निसरपुरा निवासी राजन कुमार को भी शराब से जुड़े मामलों में पकड़ा गया।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 78 लीटर देसी शराब बरामद की। साथ ही अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके पर 635 किलो जावा महुआ नष्ट कर दिया और एक शराब भट्ठी को ध्वस्त किया।

विशेष अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से 72,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा पुलिस ने एक गुमशुदा व्यक्ति को भी बरामद किया। पुलिस प्रशासन के अनुसार, जिले में अपराध नियंत्रण, वारंटियों की गिरफ्तारी और अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

एसपी ने पुलिस लाइन में शस्त्रागार व विभिन्न शाखाओं का लिया जायजा

क्राइमरिपोर्टर | अरवल

पुलिस अधीक्षक (SP) ने पुलिस लाइन, अरवल का विस्तृत निरीक्षण कर वहां की प्रशासनिक और बुनियादी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन परिसर की स्वच्छता, शस्त्रागार (आर्मरी) के रखरखाव तथा पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में संचालित गतिविधियों की गहन समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान एसपी ने अभिलेखों (फाइलों) के उचित रखरखाव और कार्यालयी कामकाज को सुव्यवस्थित तरीके से निष्पादित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को सख्त निर्देश दिया कि सभी शाखाओं में उच्च स्तर का अनुशासन बनाए रखा जाए और सरकारी संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।



साथ ही, प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक विलंब से बचने के लिए सभी फाइलों का निष्पादन निर्धारित मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से करने की हिदायत दी।

निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों के कल्याण और उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। एसपी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिस जवानों की आवश्यकताओं और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए।

डीएम के जनता दरबार में 15 लोगों ने रखीं समस्याएं

भास्कर न्यूज | अरवल

डीएम अमृता वैस ने शुक्रवार को कार्यालय कक्ष में जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित कर करीब 15 नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जा, अतिक्रमण, आवास योजना, पेंशन, दाखिल-खारिज और परिमार्जन समेत विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें सामने आईं। डीएम ने अधिकांश मामलों का मौके पर निष्पादन किया।

शेष मामलों में संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कलेर प्रखंड के अमीर बिगहा निवासी दिव्यांग श्रीराम महतो ने बंद हो चुकी दिव्यांगता पेंशन दोबारा चालू कराने की मांग की। इस पर डीएम ने सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

विवाहिता के साथ बेरहमी से मारपीट की शिकायत

भास्कर न्यूज | जहानाबाद

नगर थाना क्षेत्र के गौलक्षणी मोहल्ले में एक विवाहिता के साथ उसके ससुराल वालों द्वारा मारपीट और प्रताड़ना का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर मारपीट करने तथा लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़िता ने नगर थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है।

प्राप्त जानकारी और थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार, पीड़िता सुनीता देवी (25 वर्ष), पति संजय पांडेय, गौलक्षणी की रहने वाली हैं। घटना 22 अक्टूबर की सुबह की बताई जा रही है। सुनीता देवी जब दुकान से राशन लेकर वापस लौट रही थीं, तभी उनके पति संजय पांडेय (28 वर्ष) और परिवार के अन्य सदस्यों ने उन्हें घेर लिया और गाली-गलौज करने लगे।

जब पीड़िता ने गाली-गलौज का विरोध किया, तो सभी आरोपियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इस दौरान ससुर ने लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से चोटिल हो गईं। पीड़िता ने किसी तरह अपनी जान बचाई और इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुँचीं, जहाँ उनका उपचार किया गया। घटना के बाद पीड़िता ने नगर थाने में आवेदन देकर सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।

गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, संस्थागत प्रसव की सुविधा सुधारने की हिदायत

मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी

भास्कर न्यूज | जहानाबाद

जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को मातृ-शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों की रोकथाम और अस्पतालों में स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। शुक्रवार को समाहरणालय में उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पीयूष की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिले के सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक और अन्य संबंधित कर्मी शामिल हुए। डीडीसी ने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और लंबित कार्यों के त्वरित निष्पादन पर बल दिया।



अस्पतालों की स्वच्छता और आरबीएसके पर जोर:

कायाकल्प कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य संस्थानों में साफ-सफाई, संक्रमण नियंत्रण और बायो-मेडिकल कचरा प्रबंधन के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया। वहीं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जन्मजात बीमारियों से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उनके निःशुल्क उपचार पर जोर दिया गया।

इसके अलावा, परिवार नियोजन सेवाओं की पहुँच योग्य दंपतियों तक बढ़ाने और सपोर्ट टीम के क्षेत्रीय भ्रमण को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। डीडीसी ने स्पष्ट किया कि योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन ही प्राथमिकता होनी चाहिए।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य और सुरक्षित प्रसव पर फोकस:

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण, नियमित प्रसवपूर्व जाँच और उच्च जोखिम वाले मामलों में त्वरित रेफरल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सुरक्षित संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के साथ ही जूनोटिक रोगों और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए मानव, पशु स्वास्थ्य व पर्यावरण विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा गया। रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अस्पतालों में पर्याप्त एंटी-रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पंजाब नेशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सम्पत्ति वसूली प्रबंधन शाखा
ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पत्तियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 9(1) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्ज़ा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	पीएनबी- एमजी रोड, औरंगाबाद(050200) मेसर्स राज लक्ष्मी एग्रो बिजनेस सेंटर, प्रोप- श्री सुनील कुमार सिंह श्री सुनील कुमार सिंह पिता श्री भानु प्रताप सिंह श्रीमती सुनीता सिंह पति श्री सुनील कुमार सिंह निवासीः बिसेनी, पोस्ट-कपस्या, जिला-औरंगाबाद, बिहार-824103 यहाँ भीः कर्मा रोड, जय प्रकाश नगर वार्ड संख्या-02, पोस्ट एवं थाना-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद, बिहार-824101 खाता-050200IB30000272 0502008700004529	भूमि एवं भवन स्थितः मौजा- कर्मा भगवान, थाना संख्या- 268, थाना- औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद, तौजी संख्या- 8635, खाता संख्या-110, प्लॉट संख्या- 851, क्षेत्रफल- 21.375 डिसमिल एवं खाता संख्या- 125, प्लॉट संख्या-1055, क्षेत्रफल- 24.625 डिसमिल (कुल क्षेत्रफल- 46 डिसमिल) श्रीमती सुनीता सिंह पति श्री सुनील कुमार सिंह के नाम पर जिसका सेल डीड संख्या-8423 दिनांक 16.06.2015 है। चौहद्दीः उत्तर-निज रास्ता, सुनील कुमार सिंह, कौशल कुमार सिंह, दक्षिण-सत्येंद्र यादव, पूर्व-बिगन यादव, पश्चिम- सत्येन्द्र यादव, अंबिला यादव, निज रास्ता एवं सुनील कुमार सिंह	क) 17.05.2018 ख) रु. 2,38,33,906.36/- + आगे का ब्याज ग) 11.09.2018 घ) सांकेतिक	क) रु.1,03,70,000/- ख) रु.10,37,000/- ग) रु.50,000/-	दिनांक 26.11.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 16:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः
1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 26.11.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 16.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnb.bank.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना (विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा) प्राधिकृत अधिकारी